

अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22 भूतल, काशिराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड (घडीयाल गोदी) मास्जद (पू) मुंबई 400009 टेलीफोन 022-2372 6253-56 फेक्स 022-2372-6252 ई-मेल: mcspanvel@yahoo.co.in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्स: (020) 2553 3246 ईमेल: investor_services@mahabank.co.in

physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Of- fice No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jam- nadas Bldg, 5, P.D Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax: (022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.co.in	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 2551 1360 Fax (020) 2553 3246 e-mail: investor_services@mahabank.co.in

9.5 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

इसीएस लाभांश / ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनौखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केन्द्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है।

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, बेंगलूरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चंदिगढ़, कोयंबतूर, कोलकाता, चैन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जामनगर, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, नाशिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपूर, सोलापूर, सुरत, तिरुवनंतपुरम, तिरुपुर, उडुपी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टणम।

उपरोक्त किसी भी केन्द्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के पास भेजे और यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट (डीपी) को भेजा जाए। इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है।

9.6 अदत्त लाभांश

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 व 2008-09 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करने वाले शेयरधारक लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार / बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

9.7 शेयरों का डीमैटेरिअलाइज़ेशन

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट आईएसआईएन कोड INE457A01014" है। वर्ष 2009-2010 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है।

31.3.2009 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

संवर्ग	शेयरधारकों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	55,075	30.40	75,29,965	1.75
डीमैट में				
1. एनएसडीएल	95,903	52.94	8,25,45,977	19.17
2. सीडीएसएल*	30,187	16.66	34,04,44,058	79.08
उप जोड़	1,26,090	69.60	42,29,90,035	98.25
कुल	1,81,165	100.00	43,05,20,000	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 33,05,20,000 शेयरों सहित)

9.5 Electronic Clearing Services (ECS):

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following forty three centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vishakhapatnam.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective depository participant (DP) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the years 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2010-11 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2010 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	55,075	30.40	75,29,965	1.75
Demat:				
1. NSDL	95,903	52.94	8,25,45,977	19.17
2. CDSL*	30,187	16.66	34,04,44,058	79.08
Sub-total	1,26,090	69.60	42,29,90,035	98.25
Grand Total	1,81,165	100.00	43,05,20,000	100.00

(*Including 33,05,20,000 shares held by the Government of India)